

परिशिष्ट - 1.1

राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)						
ए. सामान्य आँकड़े						
क्र.सं.	विवरण			आँकड़े		
1	क्षेत्रफल			1483 वर्ग किमी		
2	जनसंख्या					
	ए.	2001 की जनगणना के अनुसार		1.39 करोड़		
	बी.	2011 की जनगणना के अनुसार		1.68 करोड़		
3.	ए.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.		
	बी.	जनसंख्या घनत्व (2011) के अनुसार (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 29.5* प्रतिशत)			15.6** प्रतिशत		
5.	ए.	साक्षरता(2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)		81.67 प्रतिशत		
	बी.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 प्रतिशत)		86.21 प्रतिशत		
6.	बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत*** = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)			24.0***		
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 67.5 वर्ष)			उ.न.		
8.	गिनी गुणांक****					
	ए.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)		0.25		
	बी.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)		0.35		
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2014-15 वर्तमान मूल्य पर			₹ 451153.65 करोड़ **		
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध. (2005-06 से 2014-15)			दिल्ली	13.11 प्रतिशत	
				सामान्य श्रेणी के राज्य	13.86 प्रतिशत	
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध ***** (2005-06 से 2014-15)			दिल्ली	16.36 प्रतिशत	
				सामान्य श्रेणी के राज्य	15.44 प्रतिशत	
<b>बी वित्तीय आंकड़े</b>						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
1	मि.वा.वृ.द्ध		2005-06 से 2013-14	2005-06 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	
			सामान्य श्रेणी राज्य +	दिल्ली	सामान्य श्रेणी राज्य +	दिल्ली
	ए.	राजस्व प्राप्ति	15.76	11.80	16.10	5.73
	बी.	स्वयं का कर राजस्व	15.32	12.88	10.51	2.64
	सी.	गैर कर राजस्व	13.53	-8.44	10.07	-4.04
	डी.	कुल व्यय	15.23	11.72	19.32	-9.57
	ई.	पूँजीगत व्यय	14.61	12.69	21.87	-6.45
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.10	16.08	14.55	7.14
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.20	16.72	28.73	19.32

सामान्य आँकड़ों के स्रोतः

\*सेससइंफो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

\*\* निर्धनता, नियोजन आयोग के मापन हेतु प्रविधि की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) की रिपोर्ट (जून 2014)

\*\*\* नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन सितंबर 2014,

\*\*\*\*2009-10 के लिए योजना आयोग के आँकड़ें,

\*\*\*\*\* मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर

वित्तीय आँकड़ें राज्य सरकारों के वित्तीय लेखों पर आधारित हैं।

+ 18 सामान्य श्रेणी के राज्यों जैसे (1) आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित, (2) बिहार, (3) चंडीगढ़ (4) गोआ, (5) गुजरात, (6) हरियाणा, (7) झारखंड (8) कर्नाटक, (9) केरल, (10) मध्य प्रदेश, (11) महाराष्ट्र, (12) ओडिशा, (13) पंजाब, (14) राजस्थान, (15) तमिल नाडु, (16) उत्तर प्रदेश, (17) प. बंगाल, (18) पुदुचेरी को छोड़कर दिल्ली।

**परिशिष्ट 1.2**

**(पैराग्राफ 1.1 को देखें)**

**पार्ट ए: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट:**

**सरकारी लेखों की संरचना:** राज्य सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं- (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में मिला दिए जाते हैं।

**भाग I: समेकित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया।

**पार्ट बी: वित्तीय लेखों की स्थिति**

विवरण	स्थिति
विवरण सं.1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि
विवरण सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरण सं.3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।
विवरण सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया में वसूलियाँ इत्यादि का सारांश।
विवरण सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरण सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरण सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरण सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरण सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरण सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्ष के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय के लेखे
विवरण सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरण सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरण सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरण सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरण सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

**राजकोषीय संचय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी हुई पदों की परिभाषा नीचे दी गई है :**

पद	गणना का आधार
एक पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में एक पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ)2]*100
ब्याज का विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा का विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज का विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	ब्याज प्राप्ति [(प्रारम्भिक शेष+ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048 - ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत रिकॉर्ड खर्चों के अलावा

**परिशिष्ट 1.3**  
**राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े**  
**(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>पार्ट ए: राजस्व</b>					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69	29584.59
(i) कर राजस्व	16477.75	19971.67	23431.52	25918.69	26603.90
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	12068.62	13750.95	15803.69	17925.71	18298.31
राज्य उत्पाद शुल्क	2027.09	2533.72	2869.74	3151.63	3422.39
वाहनों पर शुल्क	707.55	1049.19	1240.18	1409.28	1558.83
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	1355.75	2240.25	3098.06	2969.07	2779.88
भूमि राजस्व	0.02	0.01	0.01	0.01	61.79
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	318.71	397.54	419.84	463.00	491.70
(ii) गैर कर राजस्व	4188.95	460.87	626.93	659.14	632.54
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4357.40	1960.64	1502.52	1402.86	2348.14
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूली	436.77	376.25	724.90	802.92	227.61
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	25460.87	22769.42	26285.87	28783.60	29812.20
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	4388.94	556.08	922.41	4162.89	1764.32
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	4388.94	556.08	922.41	4162.89	1764.32
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	29849.81	23325.50	27208.28	32946.49	31576.52

7.आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8.सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	29849.81	23325.50	27208.28	32946.49	31576.52
<b>पार्ट बी. व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	14381.74	17964.86	20659.36	22366.52	23509.49
योजनागत	4891.59	6440.86	6498.72	7462.28	7946.30
गैर योजनागत	9490.15	11524.00	14160.64	14904.24	15563.19
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	3728.95	4347.23	5738.57	5597.48	5983.40
सामाजिक सेवाएँ	8718.80	10717.11	11737.43	12314.54	13306.11
आर्थिक सेवाएँ	1392.46	2172.22	2350.82	3650.01	3318.99
सहायता अनुदान और योगदान	541.53	728.29	832.53	804.50	900.99
11.पूँजीगत व्यय	3984.80	4004.27	4176.63	4707.42	4403.94
योजनागत	3981.32	3999.96	4171.74	4702.93	4399.12
गैर योजनागत	3.48	4.31	4.90	4.49	4.82
सामान्य सेवाएँ	264.55	188.82	196.88	265.48	371.10
सामाजिक सेवाएँ	536.74	578.23	1100.95	1542.54	1330.11
आर्थिक सेवाएँ	3183.51	3237.22	2878.81	2899.41	2702.73
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	6364.73	3345.42	3734.83	5652.37	1679.94
13. कुल (10+11+12)	24731.27	25314.55	28570.82	32726.31	29593.37
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	793.06	1087.88	1287.99	1325.29	1346.72
आंतरिक ऋण (पूर्वपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	793.06	1087.88	1287.99	1325.29	1346.72
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	25524.32	26402.42	29858.81	34051.60	30940.10
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-

18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25524.32	26402.42	29858.81	34051.60	30940.10
<b>पार्ट सी. घाटा</b>					
20. राजस्व में घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)10642.36	(+)4428.31	(+) 4901.61	(+)5614.17	(+)6075.10
21. राजकोषीय घाटा(-)/ राजकोषीय आधिक्य(+)(4-13)	(+) 729.60	(-)2545.20	(-)2284.95	(-)3942.71	218.83
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+) 3309.12	(+)372.06	(+)577.93	(-)1118.42	(+)2992.83
<b>पार्ट डी. अन्य अंकड़े</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2579.52	2917.26	2862.88	2824.29	2774.00
24. स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. पूर्वापाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वापाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वापाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	252752.79	287106.88	334914.71	391124.80	451153.65
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	30140.09	29608.29	29242.71	32080.32	32497.91
29. बकाया गारण्टियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
<b>पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
<b>I संसाधन गतिशीलता</b>					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	6.52	6.96	7.00	6.63	5.90
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	1.66	0.16	0.19	0.17	0.14
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	9.78	8.82	8.53	8.37	6.56

कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	98.83	113.05	111.78	116.96	100.03
राजस्व व्यय/कुल व्यय	58.15	70.97	72.31	68.34	79.44
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	43.41	51.88	50.23	46.60	53.85
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	27.88	27.48	22.58	32.26	21.48
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	16.11	15.82	14.62	14.38	14.88
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	15.04	15.07	13.93	13.57	13.63
<b>III राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)4.21	(+)1.54	(+)1.46	(+)1.44	(+)1.35
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ.	(+) 0.29	(-) 0.89	(-) 0.68	(-)1.01	(-)0.05
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(+) 1.31	(+) 0.13	(+) 0.17	(-)0.29	(+)0.66
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	11.92	10.31	8.73	8.20	7.20
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	120.44	132.22	114.40	114.65	109.85
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(+) 177.08	(+) 32.32	(+) 28.21	(-)50.52	138.00
ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
<b>V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
निवेश पर वापसी	0.37	0.23	0.16	0.07	0.07
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	13515.26	9887.38	10231.39	12000.50	12001.21
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	90.94	94.79	97.88	99.14	98.60

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करते हैं

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

**परिशिष्ट 1.4**  
(पैराग्राफ 1.5 को देखें)  
**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ**

	2010-11(आर)	2011-12(आर)	2012-13(आर)	2013-14(आर)	2014-15(ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	252752.79	287106.88	334914.71	391124.80	451153.65
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.14	13.59	16.65	16.78	15.35
स्त्रोत:	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार				

(आर)- संशोधित, (पी)- वैकल्पिक,(क्यू)- तत्काल आकलन, (ए)- अग्रिम आकलन

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	104,72,807	1,15,09,810 <sup>#</sup>
स.घ.उ. का वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.66	15.77	11.88	11.54	9.90

स्त्रोत: 31 जुलाई 2015 को सी.एस.ओ. की वेबसाइट पर

# जिसमें तीन राज्य - गोआ, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ शामिल नहीं हैं।



**परिशिष्ट 1.5**  
**पार्ट ए : वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार**  
**(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

खण्ड क : राजस्व			संवितरण				
प्राप्ति							
2013-14	2014-15	2013-14	2014-15				
			गैर योजनागत	योजनागत	कुल		
<b>27980.69</b>	<b>I. राजस्व प्राप्ति</b>	<b>29584.59</b>	22366.52	<b>I. राजस्व व्यय</b>	15563.19	7946.30	23509.49
25918.69	कर राजस्व	26603.90	<b>5597.48</b>	<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>5828.78</b>	<b>154.62</b>	<b>5983.40</b>
			<b>12314.54</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>6344.87</b>	<b>6961.24</b>	<b>13306.11</b>
659.14	-गैर-कर राजस्व	632.54	5654.70	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	4361.05	1697.13	6058.18
			2624.59	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1475.88	1655.68	3131.56
-	-संघीय करों में राज्यों का अंश	-	2062.71	-जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	248.17	1868.43	2116.60
			28.54	-सूचना एवं प्रसारण	14.50	0	14.50
326.91	-गैर-योजनागत अनुदान	327.95	231.94	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	15.57	222.55	238.12
717.81	-राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	1467.36	92.13	-श्रम एवं श्रमिक कल्याण	88.52	12.21	100.73
			1612.09	-समाज कल्याण एवं पोषण	131.90	1505.24	1637.14
358.14	-केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	552.84	7.82	-अन्य	9.28	0	9.28
			<b>3650.01</b>	<b>आर्थिक सेवाएं-</b>	<b>2488.54</b>	<b>830.45</b>	<b>3318.99</b>
			86.87	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	77.64	8.49	86.13
			9.13	-ग्रामीण विकास	8.12	1.75	9.87
				-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			112.49	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	136.21	0.06	136.27
			1069.34	-ऊर्जा	656.61	196.83	853.44
			30.47	-उद्योग एवं खनिज	9.84	20.76	30.60
			2070.63	-परिवहन	1472.44	562.35	2034.79
			21.43	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.50	18.29	19.79
			249.65	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	126.18	21.92	148.10
			<b>804.50</b>	<b>सहायता अनुदान एवं योगदान</b>	<b>900.99</b>	<b>0</b>	<b>900.99</b>
			<b>22366.52</b>	<b>कुल</b>	<b>15563.18</b>	<b>7946.31</b>	<b>23509.49</b>
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		5614.17	II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	-	-	6075.10
<b>27980.69</b>	<b>कुल</b>	<b>29584.59</b>	<b>27980.69</b>	<b>कुल</b>			<b>29584.59</b>

खण्ड-ब : पूँजीगत एवं अन्य							
1985.75	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	880.65		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट			
-	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-		IV. पूँजीगत रूपरेखा			
			265.48	सामान्य सेवाएं-	0	371.10	371.10
			1542.54	सामाजिक सेवाएं-	0	1330.11	1330.11
			514.40	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	0	496.64	496.64
			352.55	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	490.44	490.44
			559.98	-जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	0	258.38	258.38
			-	-सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			46.61	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	38.54	38.54
	<b>खण्ड-ब: अन्य (निष्कर्ष)</b>						
			36.04	-समाज कल्याण एवं पोषण	0	32.54	32.54
			32.96	-अन्य	0	13.57	13.57
			2899.41	आर्थिक सेवाएं-	4.82	2697.91	2702.73
			14.60	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	0	17.33	17.33
			175.04	-ग्रामीण विकास	0	116.36	116.36
			-	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			74.21	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.82	81.49	86.31
			21.34	-ऊर्जा	0	85.32	85.32
			50.00	-उद्योग एवं खनिज	0	27.27	27.27
			2561.28	-परिवहन	0	2363.75	2363.75
			0.49	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0	0.39	0.39
			2.45	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	6.00	6.00
			4707.43	कुल	4.82	4399.12	4403.94
802.91	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	227.61	5652.37	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	-	-	1679.94
-	- पावर परियोजनाओं से	-	3628.39	- पावर परियोजनाओं के लिए	-	-	295.00
-	-सरकारी सेवकों से	-	0.74	-सरकारी सेवकों को	-	-	0.71
-	-अन्यों से	-	2023.24	-अन्यों का	-	-	1384.23
-	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया	-		VI. राजस्व घाटा कम किया गया	-	-	-
			1325.29	VII. लोक ऋण की पुनर्दायगी-	-	-	1346.73
4162.89	VII. लोक ऋण प्राप्ति-	1764.32	-	-बाह्य ऋण	-	-	-
-	- बाह्य ऋण	-	-	-पूर्वपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-
-	-पूर्वपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-पूर्वपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-

-	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	1325.29	-केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	-	-	1346.73
-	-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-
4162.89	-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1764.32	-	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	-	-	-
-	-आकस्मिक निधि में विनियोजन	-	-	X. लोक खाता संवितरण	-	-	-
-	-आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-	-	-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-	-	-
-	-लोक लेखा प्राप्तियाँ	-	-	-आरक्षित निधियाँ	-	-	-
-	-लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-	-	-उचंत एवं विविध	-	-	-
-	-आरक्षित निधियाँ	-	-	-प्रेषण	-	-	-
-	-उचंत एवं विविध	-	-	-जमा एवं अग्रिम	-	-	-
-	-प्रेषण	-	880.65	XI अंत में नकद शेष-	-	-	1517.07
-	-जमा एवं अग्रिम	-	-	-खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	-
-	-भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-	-	-रिजर्व बैंक में जमा	-	-	-
-	-	-	-	-स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष	-	-	-
-	-	-	-	-नकद शेष निवेश	-	-	-
34932.25	कुल	32457.17	34932.25	कुल	-	-	32457.17

**परिशिष्ट 1.5 (जारी)**  
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

पार्ट बी			
31 मार्च 2013 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2014 को	देयताएँ		31-3-2015 को
32080.32	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		32497.91
-	1984-85 से पूर्व के ऋण		-
32080.30	गैर-योजनागत ऋण		32497.90
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण		-
0.01	केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण		0.01
-	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण		-
65015.70	राजस्व अधिशेष		71090.80
1587.95	सी जी ए से 1994-95 के दौरान स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1587.95
3356.46	1994-95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3356.46
102040.43	कुल		108533.12
	<b>परिसम्पत्तियाँ</b>		
45422.50	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		49826.44
17060.35	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश		17660.35
28362.15	अन्य पूंजीगत परिव्यय		32166.09
55737.28	ऋण और अग्रिम		57189.61
10157.55	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण		10450.52
30595.59	अन्य विकास ऋण		31837.82
14984.14	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण		14901.27
880.65	संघ सरकार के नकद शेष में विलयित नकद शेष		1517.07
102040.43	कुल		108533.12

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूंकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमियाँ, जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में संपत्ति आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणास्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्त योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2014 तथा 31 मार्च 2015 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 45422.50 करोड़ तथा ₹ 49826.44 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से प्राप्त किए गए थे। इसी प्रकार परिसंपत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014 के लिए क्रमशः ₹ 55,737.28 करोड़ तथा ₹ 57189.61 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे परन्तु इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले आँकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

**परिशिष्ट - 2.1**  
**₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची**  
**(पैराग्राफ 2.3.1. को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	% शत	बचतों के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत</b>								
<b>अनुदान सं. 3- न्याय का प्रशासन</b>								
1.	2014 बी.1(1)(1)-सत्र - न्यायालय	356.23	84.54	440.77	354.09	86.68	19.67	निविदाओं का अन्तिमकरण न होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति तथा प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति
<b>अनुदान सं. 6- शिक्षा</b>								
2.	2202 ए.1(2)(6)(1)-कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता	431.25	0.00	431.25	378.41	52.84	12.25	एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, रिक्त पदों को भरा नहीं जाना
3.	2202 ए.1(2)(7)(1)-अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाएँ	2043.13	0.02	2043.15	1916.23	126.92	6.21	एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, रिक्त पदों को भरा नहीं जाना
<b>अनुदान सं. 07- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>								
4.	2210 ए.1(1)(4)(6)-दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	87.00	0.00	87.00	21.00	66.00	75.86	कारण प्रतीक्षित
5.	2210 ए.1(1)(5)(15)-दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सी.एस.एस.)	140.29	50.35	190.64	130.38	60.26	31.61	कारण प्रतीक्षित
6.	2210 एफ.1(3)(1)(1)-चिकित्सा विज्ञान का विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	100.00	कारण प्रतीक्षित

7.	2210 ए.2(1)(3)(10)- वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना/ वृद्धावस्था सहायता की वृद्धि	540.00	0.00	540.00	472.23	67.77	12.55	कारण प्रतीक्षित
<b>अनुदान सं. 10- विकास</b>								
8.	2030 ई.2(3)(1)(2)(4)- उत्तरी दिल्ली नगर निगम	385.00	0.00	385.00	330.84	54.16	14.07	कम बिक्री, प्रापटी की खरीद के परिणामस्वरूप इयूटी शुल्क के स्थानान्तरण में कमी
9.	2030 ई.2(3)(1)(2)(5)- दक्षिण दिल्ली नगर निगम	660.00	0.00	660.00	603.24	56.76	8.60	कम बिक्री, प्रापटी की खरीद के परिणामस्वरूप इयूटी शुल्क के स्थानान्तरण में कमी
10.	2030 ई.2 (3) (1) (2) (6)-पूर्वी दिल्ली नगर निगम	176.00	0.00	176.00	113.03	62.97	35.78	कम बिक्री, प्रापटी की खरीद के परिणामस्वरूप इयूटी शुल्क के स्थानान्तरण में कमी
<b>अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग</b>								
11.	2215 ए.6(1)(2)(1)(3)- शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	380.00	0.00	380.00	200.00	180.00	47.37	जल मंत्रालय भारत सरकार से समय पर ए.सी.ए. के रूप में सहायता प्राप्त न होना
12.	2215 ए.6(2)(1)(5)- जे.एन.एन.यू.आ र. एम. परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नालों में अवरोधित सीवर के लिए दि.ज.बो. को स.अ.	344.20	0.00	344.20	47.53	296.67	86.19	कम ऋण जारी होना.
13.	2217 ए.8(2)(1)(26)- नगर सुधारों के लिए सहायता अनुदान	157.12	0.00	157.12	0.00	157.12	100.00	सक्षम अधिकारी से समय पर अनुमोदन प्राप्त न होना
<b>अनुदान 13 - पेंशन</b>								

14.	2071- ए.1(1)(2)(1)- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- सरकारी योगदान	113.50	0.00	113.50	0.00	113.50	100.00	कारण प्रतीक्षित
<b>राष्ट्रीय ऋण: राजस्व प्रभारित</b>								
15.	2049 ए.1 (1) (1)- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज	2979.53	0.00	2979.53	2774.00	205.53	6.90	भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी किया जाना
<b>राष्ट्रीय ऋण: पूँजीगत-दत्तमत</b>								
16.	ए.1(1)(1)- संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु ऋण	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	100.00	कारण प्रतीक्षित
<b>पूँजीगत-दत्तमत्त</b>								
<b>अनुदान सं. 6- शिक्षा</b>								
17.	4202 ए.1(1)(1)(2)- सामान्य शिक्षा- विद्यालय भवनों के कार्यों का बहिः स्त्रोतन	51.00	0.00	51.00	0.65	50.35	98.73	कारण प्रतीक्षित
18.	4250 बीबी.1 (1) (2)-जानपुर में विश्वस्त्री4 प्रवीणता उन्नमन केन्द्र	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	योजना का गैर- क्रियान्वयन
19.	6202 बीबी.2(1)(1)(1)- सूचना तकनीकी संस्थान (सू.त.स.) इन्द्रप्रस्थ दिल्ली को ऋण	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	100.00	ऋण की राशि की विलम्ब से मंजूरी तथा सू.त.स., दिल्ली को स्थानान्तरित न किया जा सकना था
<b>अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग</b>								
20.	4217 ए.1 (3) (1) (5)-अनाधिकृत कालोनियों का विकास	335.00	0.00	335.00	180.57	154.43	46.10	राशि का बड़ा हिस्सा उपयोग में लाया जा चुका था।
21.	6215 ए.2(1)(1)(1)- शहरी जल आपूर्ति के लिए दि.ज.बो. को ऋण	541.00	0.00	541.00	383.50	157.50	29.11	पल्ला स्टिल पर वैचारिक स्तर पर डब्ल्यू.टी.पी. प्लान्ट पर परियोजना निर्माण
22.	4210 बीबी.(5(1) (1)(1)(1)- अस्पताल के लिए भवन का निर्माण	388.00	0.00	388.00	232.20	155.80	40.15	कारण प्रतीक्षित

23.	5054 बीबी.11(1) (1)(5)- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	200.00	0.00	200.00	149.75	50.25	25.13	योजना की धीमी प्रगति
24.	4801 ईई.2(1)(1) (5)- झज्जर, हरियाणा में जेवीसी पावर प्लांट को इक्विटी अंशदान	72.60	0.00	72.60	0.00	72.60	100.00	सक्षम अधिकारी से समय पर अनुमोदन प्राप्त न होना
<b>कुल</b>		<b>10895.85</b>	<b>134.91</b>	<b>11030.76</b>	<b>8287.65</b>	<b>2743.11</b>		



**परिशिष्ट 2.2**  
**विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त पड़े थे**  
**(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक)**  
**(पैराग्राफ 2.3.3. को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं. 4- वित्त</b>					
1.	3454-डी.1(1)(2)(4) जनगणना कार्य का व्यय	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
<b>अनुदान सं. 6- शिक्षा</b>					
2.	2202 ए.1(2)(7)(24)- सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक के अंतर्गत राज्य अंश	15.00	0.00	15.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
3.	2203 बी.1(5)(10)- दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	योजना कार्यान्वित नहीं की गई
<b>अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
4.	2210 ए.1(1)(3)(1)- कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान	22.42	0.00	22.42	कारण प्रतीक्षित
5.	2210 ए.1(2)(1)(1)(3)- नए मेडिकल, कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं पैरा-मेडिकल संस्थानों की स्थापना	5.00	0.00	5.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
6.	2210 सी.1(2)(1)(5)- टेली मशीन सुविधाएँ	1.00	0.00	1.00	कारण प्रतीक्षित
7.	2210 एफ.1(3)(1)(1)- यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस	65.00	0.00	65.00	कारण प्रतीक्षित
8.	2211 के.1(5)(2)- ग्राम परिवार कल्याण सेवार्यें	4.50	0.00	4.50	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, दि.न.नि. के अनुदान नहीं दी।
9.	2210 एन.1(2)(1)(1)- मेडिकल कॉलेज, रोहिणी	20.00	0.00	20.00	कारण प्रतीक्षित
<b>अनुदान सं. 8- सामाजिक कल्याण</b>					
10.	2235 बी.2(1)(3)(24)- इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएस वार्ड) (सीएमबी) राज्य अंश	1.48	0.00	1.48	राज्य योजना को कम अदायगी
11.	2225 सी.1(3)(1)(5)- हाथ से सफाई करने वाले कर्मचारियों तथा उनके सुधार के रूप में भर्ती के रोकथाम का कार्यान्वयन	10.00	0.00	10.00	कारण प्रतीक्षित
12.	3435 डी.5(1)(1)(3)- सैन्ट्रल सेन्टर प्राइवेट बस कलस्टर तथा पी.आई.एस. तथा परिचालन	10.00	0.00	10.00	कारण प्रतीक्षित
13.	3452 ई.1(1)(1)(2)- दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को सहायता अनुदान	5.00	0.00	5.00	कारण प्रतीक्षित

<b>अनुदान सं. 9- उद्योग</b>					
14.	2230 बी.1(1)(2)(3)- रोजगार कार्यालय की कार्यशैली का कम्प्यूटरीकरण	2.00	0.00	2.00	प्रस्ताव चलाया गया परन्तु कार्यान्वित नहीं हुआ
15.	2230 सी.2(1)(3)(1)- बाल-श्रम का पुनर्वास	2.70	0.00	2.70	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
16.	2230 सी.2(1)(4)(1)(1)- दिल्ली स्वस्थ कुटुम्ब सोसायटी को सहायता	4.00	0.00	4.00	अनुदान की गैर अदायगी
17.	3456 डी.1(2)(6)- राज्य खाद्य आयोग	4.90	0.00	4.90	पदों को न भरा जाना तथा कार्यालय का कार्यशील न होना
18.	3456 डी.1(4)(7)- ई.डब्ल्यू.एस. के लिए अन्न श्री योजना	21.60	0.00	21.60	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
<b>अनुदान सं. 10- विकास</b>					
19.	2053 एच.3(3)(1)(2)- हैबिटेट फंड के लिए नागरिक देखभाल	5.00	0.00	5.00	आ.क.ए. से प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति
20.	2053 एम.3(3)(1)(2)- हैबिटेट फंड के लिए नागरिक देखभाल	5.00	0.00	5.00	कारण प्रतीक्षित
21.	2053 पी.3(3)(1)(2)- हैबिटेट फंड के लिए नागरिक देखभाल	5.00	0.00	5.00	कारण प्रतीक्षित
22.	2810 आर.4(1)(1)(2)- सौर ऊर्जा नवीकृत ऊर्जा	4.50	0.00	4.50	कारण प्रतीक्षित
23.	2401 आर.6(2)(2)- शहरी कलस्टर के लिए शाकाहारी पहल	2.00	0.00	2.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
<b>अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लो.नि.वि.</b>					
24.	2216 ए.7(1)(1)(3)- कमजोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण हेतु डी.एस.आई.डी. सी. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	130.00	0.00	130.00	कम अनुदान की अदायगी
25.	2216 ए.7(1)(1)(4)- कमजोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण हेतु दि.वि.प्रा. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	20.00	0.00	20.00	कम अनुदान की अदायगी
26.	2216 ए.7(1)(1)(6)- राजीव आवास योजना (डी.यू.एस.आई.बी.)	8.00	0.00	8.00	कम अनुदान की अदायगी
27.	2216 ए.7(1)(2)(4)- कमजोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण हेतु न.दि.न.पा. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	1.00	0.00	1.00	सरकार से समय पर फण्ड की अदायगी न होना
28.	2217 ए.8(1)(1)(4)- कटरा निवासियों के संगठनात्मक सुधार तथा पुर्नवास के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को स.अ.	3.75	0.00	3.75	व्ययों में धीमी गति
29.	2217 ए.8(1)(1)(7)- वर्तमान अवसंरचना के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को स.अ.	2.50	0.00	2.50	कम अनुदान की अदायगी
30.	2217 ए.8(2)(1)(28)- कर्नाट प्लेस के पुर्नविकास के लिए न.दि.न.पा. को स.अ. (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	2.00	0.00	2.00	कम अनुदान की अदायगी

31.	2217 ए.8(2)(1)(34)- स्थापना प्रभारों के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान	1.06	0.00	1.06	सक्षम अधिकारी से मंजूरी नहीं प्राप्त हुई
32.	2217 ए.8(3)(1)(5)- वॉलड सिटी के पुर्नविकास हेतु एस.पी.वी.	5.00	0.00	5.00	बचतें उपलब्ध थी, नवीन फण्ड अदा नहीं किए गए
33.	3054 ए.12(1)(1)(5)- शहरी सड़कों के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	10.00	0.00	10.00	अनुदान की गैर अदायगी
34.	3054 ए.12(1)(1)(6)- शहरी सड़कों के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सी.आर.एफ. योजना)	15.00	0.00	15.00	अनुदान की गैर अदायगी
35.	3054 ए.12(1)(1)(7)- शहरी सड़कों के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सी.आर.एफ. योजना)	20.00	0.00	20.00	अनुदान की गैर अदायगी
36.	3054 ए.12(1)(1)(8)- शहरी सड़कों के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सी.आर.एफ. योजना)	5.00	0.00	5.00	अनुदान की गैर अदायगी
37.	3054 ए.12(1)(1)(9)- जे.एन.एन.यू. आर.एम. के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	10.00	0.00	10.00	अनुदान की गैर अदायगी
38.	3054 ए.12(1)(1)(10)- जे.एन.एन.यू. आर.एम. के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	25.00	0.00	25.00	ए.सी.ए. (भारत सरकार का हिस्सा) रोक दिया गया
39.	3054 ए.12(1)(1)(11)- जे.एन.एन.यू. आर.एम. के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	30.00	0.00	30.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा फण्ड दिए जाने की स्वीकृति अनुमोदित नहीं हुई
40.	3475 ए.14(1)(3)- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अधीन राज्य अंशदान के रूप में सामाजिक सुविधा संगम को अनुदान	3.75	0.00	3.75	प्रशासनिक कारण कार्यशैली/योजना के पहलुओं को प्रभावित कर रहे थे।
41.	2801 ई.2(2)(1)(8)- एल.ई.डी. बल्बों के लिए डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को सहायता	27.88	0.00	27.88	एल.ई.डी. बल्बों की दरों में कमी के साथ, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त किए बिना स्कीम को कार्यान्वित किया गया।
<b>अनुदान सं. 13: पेंशन</b>					
42.	2071 ए.1(1)(2)(1)- सरकारी अंशदान	113.50	0.00	113.50	कारण प्रतीक्षित
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>					
<b>लोक ऋण</b>					
43.	2049 ए.1(1)(5)- गैर-योजना स्कीमों के लिए ऋणों पर ब्याज	300.00	0.00	300.00	कारण प्रतीक्षित
<b>राजस्व: प्रभारित</b>					
<b>अनुदान सं. 4- वित्त</b>					

44.	4059 एफ.एफ.1(1)(1)(1)-निर्माण ट्रेड एंड टैक्स कर एनेक्सीज बिल्डिंग	19.00	0.00	19.00	योजना की धीमी प्रगति
<b>अनुदान सं. 6- शिक्षा</b>					
45.	4250 बीबी.1(1)(2)- जानपुर में वर्ल्ड क्लास स्किल अपग्रेडेशन सेंटर	50.00	0.00	50.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
46.	6202 बीबी.2(1)(1)(1)- इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान, दिल्ली को ऋण	70.00	0.00	70.00	ऋण की राशि को देर से मंजूरी प्राप्त हुई तथा सू.त.स. दिल्ली को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका था।
47.	4202 जीजी.1(1)(1)(3)- संग्रहालय तथा कला गैलरी	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
<b>अनुदान सं. 8- समाज कल्याण</b>					
48.	4235 एए.1(1)(1)(1)- वर्तमान भवनों में (एस.डब्ल्यू.डी) अतिरिक्त सुविधायों का प्रावधान	2.00	0.00	2.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
49.	4235 बीबी.1(1)(2)(1)- वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधायों के प्रावधान (डब्ल्यू.सी.डी.)	2.00	0.00	2.00	कारण प्रतीक्षित
50.	6225 सीसी.2(2)(1)(1)-अ.जा./अ.ज. जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डीएसएफडीसी को ऋण	19.00	0.00	19.00	कारण प्रतीक्षित
51.	5055 डीडी.1(1)(3)-एक नए निरीक्षण पिट के लिए भूमि की खरीद	1.00	0.00	1.00	कार्य की धीमी प्रगति
52.	5055 डीडी.1(2)(2)-बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को आंशिक पूंजी	69.82	0.00	69.82	दि.प.नि. को इक्विटी पूंजी की गैर अदायगी
53.	5055 डीडी.1(3)(1)- इलैक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों का आरम्भ परिवहन के वैकल्पिक प्रकार	3.00	0.00	3.00	कारण प्रतीक्षित
54.	5055 डीडी.1(3)(2)- मोनो रेल	10.00	0.00	10.00	कारण प्रतीक्षित
55.	5055 डीडी.1(3)(3)- पैदल तथा गैर - मोटर वाहनों को प्रोत्साहन	1.00	0.00	1.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
56.	5075 डीडी.2(1)(1)(2)- रिंग रेलवे/ आर.आर.टी.एस. का उपयोग	5.00	0.00	5.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
57.	7055 डीडी.4(1)(3)- केन्द्रीय करों की वापसी के लिए एम.आर.टी.एस. को ऋण	348.00	0.00	348.00	कारण प्रतीक्षित
58.	7055 डीडी.4(2)(1)- अ.रा.ब.ट. के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को ऋण	30.00	0.00	30.00	ऋण की गैर अदायगी
59.	7452 ईई.2(1)(1)(1)- डी.टी. तथा डी. टी.सी. को अवसंरचना ऋण	20.00	0.00	20.00	कारण प्रतीक्षित
<b>अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लो.नि.वि</b>					
60.	4217 एए.1(2)(1)(1)- रा.रा.क्षे. विकास बोर्ड को शेयर पूंजी अंशदान	5.00	0.00	5.00	योजना का गैर क्रियान्वयन

61.	4217 एए.1(3)(1)(1)- सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर क्रियान्वयन
62.	4217 एए.1(3)(1)(6)- ई.डब्ल्यू.एस.के लिए गृहों के निर्माण हेतु कंझावला गाँव में भूमि का क्रय	2.00	0.00	2.00	योजना का गैर क्रियान्वयन
63.	6215 एए.2(1)(1)(11)- चन्द्रावल डब्ल्यू.टी.पी.के लिए दि.ज.बो. को ऋण	30.00	0.00	30.00	परियोजना अभी तक वैचारिक स्तर पर है।
64.	6215 एए.2(1)(1)(12)- चन्द्रावल डब्ल्यू.टी.पी.के लिए दि.ज.बो. को ऋण	10.00	0.00	10.00	परियोजना अभी तक वैचारिक स्तर पर है।
65.	6217 एए.3(1)(1)(7)(1)- नारों को ढकने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को ऋण	1.00	0.00	1.00	उत्तरी दि.न.नि. ने निवेदन किया कि तीसरी और अन्तिम किश्त न दी जाए।
66.	7055 एए.9(1)(1)(2)- जे.एन.एन.यू. आर.एम. स्कीम के तहत सड़को के निर्माण हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को ऋण	10.00	0.00	10.00	पेन्टिंग परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई अतः फण्ड नहीं दिया गया
67.	7055 एए.9(1)(1)(4)- जे.एन.एन.यू. आर.एम. स्कीम के तहत सड़को के निर्माण हेतु (पूर्वी दिल्ली) दिल्ली नगर निगम को ऋण	10.00	0.00	10.00	ऋण की गैर अदायगी
68.	4059 बीबी.2(1)(2)(14)- उत्पाद, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग भवन	2.00	0.00	2.00	कार्य की धीमी प्रगति
69.	4225 बीबी.15(1)(1)(1)- बक्कर वाला गाँव में अ.जा. के लिए शैक्षणिक हब का निर्माण	1.00	0.00	1.00	कार्य की धीमी प्रगति
70.	4801 ईई.2(1)(1)(5)- झज्जर, हरियाणा में जे.वी.सी. पावर प्लान्ट को इक्विटी अंशदान	72.60	0.00	72.60	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ
71.	4801 ईई.2(1)(1)(8)- दिल्ली पुनः नवीकरण ऊर्जा तथा पावर कम्पनी डी.आर.ई.पी.सी. के लिए इक्विटी	5.00	0.00	5.00	कम इक्विटी की अदायगी
72.	4801 ईई.2(1)(2)(3)- मैरा-11 महान कोल ब्लॉक का विकास	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर कार्यान्वयन
<b>पूँजीगत: प्रभारित</b>					
<b>लोक ऋण</b>					
73.	6004 एए.1(1)(1)- संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए ऋण	330.00	0.00	330.00	कारण प्रतीक्षित
<b>कुल</b>		<b>2082.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2082.96</b>	

**परिशिष्ट - 2.3**  
**वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण**  
**किया जाना अपेक्षित है**  
**(पैराग्राफ 2.3.5. के संदर्भ में)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक राशि
<b>अनुदान सं. 6- शिक्षा</b>				
1.	2202 ए. 1(2)(4)(1)- निदेशक तथा प्रशासक	19.00	20.59	1.59
2.	2202 ए.1(2)(7)(9)- विद्यालयों के पुस्तकालय का सुधार	170.00	201.70	31.70
3.	2202 ए. 1(4)(4)(1)- सामाजिक शिक्षा की स्थापना	105.80	108.29	2.49
4.	2202 ए. 1(4)(4)(20)- शिक्षा का अधिकार अधिनियम	1850.00	1902.34	52.34
5.	2202 ए. 1(4)(4)(22)- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समनवित शिक्षा का राज्य अंश (आई.ई.डी.एस.एस.)	50.00	72.91	22.91
6.	2204- ए.2 (2) (1)- राष्ट्रीय सेवा योजना	60.00	62.47	2.47
<b>अनुदान सं. 8- समाज कल्याण</b>				
7.	2235 ए.2(1)(2)(3)- शिक्षक प्रशिक्षण एकाई तथा लेडी नोइस मूक और बधिर स्कूल के लिए	443.60	449.01	5.41
8.	2225 बी.1 (1)(1)(1)- अधिसूचित जनजातियों तथा अ.जा. के लड़के-लड़कियों के लिए संस्कार आश्रम	80.30	82.67	2.37
9.	2235 बी.2(1)(2)(19)- राज्य बाल सुरक्षा सोसाईटी के लिए सहायता अनुदान (सीएसएस)	900.00	924.89	24.89
10.	2235 बी.2(1)(2)(20)- आईसीडीएस के अंतर्गत सामाजिक कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान (सीएसएस)	49.00	71.61	22.61
11.	2235 बी.2(1)(3)(19)- लाइली योजना	8800.00	8958.34	158.34
12.	2236बी.3(1)(1)(1)- किशोरी कन्या योजना (किशोरी शक्ति योजना)	105.00	129.22	24.22
	<b>कुल</b>	<b>12632.70</b>	<b>12984.04</b>	<b>351.34</b>

**परिशिष्ट - 2.4**  
**अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान**  
**(पैराग्राफ 2.3.6 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम तथा सं.	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से अधिक बचत	पूरक प्रावधान	बचत के कारण
<b>राजस्व प्रभारित</b>						
<b>अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन</b>						
1	2014 बी.1(1)(1)- सत्र - न्यायालय	356.23	354.09	2.14	67.36	निविदाओं का अन्तिमकरण न होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति तथा प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति
<b>अनुदान सं. 8- सामाजिक कल्याण</b>						
2	2225 सी.1(2)(1)(2)- सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली आयोग को सहायता अनुदान	1.96	0.84	1.12	1.08	कारण प्रतीक्षित
<b>कुल</b>		<b>358.19</b>	<b>354.93</b>	<b>3.26</b>	<b>68.44</b>	

**परिशिष्ट 2.5**

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)  
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
<b>राजस्व प्रभारित</b>				
<b>अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन</b>				
1.	2014 बी.1(1)(1)- सत्र न्यायालय	17.18	86.67	निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना और प्रत्याशित बिलों का न प्राप्त होना
2.	2014 बी.1(1)(2)- जिला और सत्र न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	3.40	2.12	प्रतीक्षित
<b>अनुदान सं. 4- वित्त</b>				
3.	2039 ई.1 (4) (1)- उत्पाद शुल्क व मनोरंजन विभाग की स्वचलन क्रिया	12.03	4.08	सभी अनुमानित व्यय नहीं हुए और इसलिए अभ्यर्पित प्रस्ताव नहीं भेजे गए।
4.	3454 आई.1(1)(2)(6)- डिजिटल दिल्ली कामनवेलथ खेलों की तैयार सहित	2.24	2.68	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भुगतान के समय प्राप्त नहीं हुआ
5.	3454 आई.1(1)(2)(9)- सामाजिक सुविधा संगम का भाग	0.36	1.19	प्रणाली समन्वयक के भुगतान हेतु दावा नहीं किया गया
<b>पूँजी-दत्तमत्त</b>				
6.	4059 एफएफ.1(1)(1)(2)- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-भवन का नवीनीकरण/मरम्मत	12.90	13.33	प्रतीक्षित
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>				
<b>अनुदान सं. 5 : गृह</b>				
7.	2210 ए.2(1)(1)(1)- सेंट्रल जेल हास्पिटल	1.50	2.27	मंडोली कारागार का प्रचालन न होना
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>				
<b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>				
8.	2202 ए.1(2)(7)(17)- +2 स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान का प्रारंभ	4.99	1.77	प्रतीक्षित
9.	2202 ए.1(4)(4)(19)- युवा योजना	1.00	2.49	प्रतीक्षित
10.	2202 ए.1(4)(4)(23)- लड़कियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता	1.00	1.45	प्रतीक्षित
11.	2236 ए.4 (1)(1)(1)- बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन	0.03	5.34	प्रतीक्षित
12.	2203-बी.1(5)(11)- महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय हेतु सहायता अनुदान	2.99	5.03	क्रय प्रस्तावों का क्रियान्वयन न होना
13.	2230 बी.2 (1)(3)(5)- कौशल विकास प्रारंभ योजना (सीएसएस)	10.16	10.17	प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और भारत सरकार से निधि जारी होने में विलंब
14.	2204 डी.1(1)(1)- एनसीसी/एसीसी	1.53	2.46	रिक्त पद और स्टाफ चुनाव ड्यूटी में होने के कारण बिल प्रॉसेस नहीं हो पाना
15.	2205 ई.1(1)(1)(1)- मुख्यालय स्थापना	0.08	1.61	रिक्त पद, क्रय प्रस्ताव क्रियान्वित न होना, कम दावे प्राप्त होना
16.	2206 एफ.2(1)(2)- उर्दू अकादमी को अनुदान	0.11	1.79	विधान सभा चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होना
<b>पूँजीगत दत्तमत्त</b>				
17.	4202 जेजे 1(1)(1)(2)- अंबेडकर विश्वविद्यालय का निर्माण	4.10	8.67	प्रतीक्षित



राजस्व दत्तमत्त				
अनुदान सं. 7 : चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
18.	2210 ए.1(1)(1)(1)- चिकित्सा स्था.	0.12	5.59	प्रतीक्षित
19.	2210 ए.1(1)(3)(1)- कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सहायता	22.41	22.42	प्रतीक्षित
20.	2210 ए.1(1)(4)(3)- नृविज्ञान तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान	1.99	14.95	प्रतीक्षित
21.	2210 ए.1(1)(5)(6)- स्वास्थ्य संबंधी प्रयोजन के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	1.00	29.69	प्रतीक्षित
22.	2210 ए.1(1)(5)(15)- दिल्ली स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस)	50.34	60.26	प्रतीक्षित
23.	2210 बी.1(1)(1)(1)- लोक नायक हास्पिटल	13.65	8.25	प्रतीक्षित
24.	2210 सी.1(1)(1)(1)- जी.बी. पंत हास्पिटल	21.30	28.63	प्रतीक्षित
25.	2210 डी.1(1)(1)(1)- अरुणा आसफ अली गवर्नमेंट हास्पिटल (सिविल हास्पिटल)	0.18	5.87	रिक्त पद न भरे जाना और क्रय का समय पर क्रियान्वित नहीं होना
26.	2210 एफ.1(1)(1)(1)- गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल	2.75	22.11	प्रतीक्षित
27.	2210 जी.1(1)(1)(1)- गुरु नानक आई सेंटर	2.62	3.56	प्रतीक्षित
28.	2210 एच.1(1)(1)(1)(1)- मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	6.06	7.33	रिक्त पद, कम बिलों की प्राप्ति और कम विदेशी
29.	2210 के.1(3)(1)- शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सीएसएस)	8.67	9.21	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होना, दि.न.नि. को अनुदान न जारी होना
30.	2210 के.1(3)(2)- शहरी परिवार कल्याण केंद्रों की नवीनीकरण (सीएसएस)	3.30	3.93	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना, दि.न.नि. को अनुदान न जारी होना
31.	2210 के.1(3)(3)- हास्पिटलों में पोस्ट-पार्टम यूनिट पर व्यय	12.50	14.90	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होना, दि.न.नि. को अनुदान जारी न होना
32.	2210 के.1(5)(2)- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ	3.00	4.50	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होना, दि.न.नि. को अनुदान जारी न होना
33.	2210 एल.1(1)(1)(1)- संजय गांधी मेमोरियल हास्पिटल	7.59	8.46	प्रतीक्षित
34.	2210 एम.1(3)(1)(1)(2)- आयुष औषधालयों में जरूरी दवाएँ	3.24	4.00	भारत सरकार से निधि समय पर प्राप्त न होना
35.	2210 एम.1(3)(1)(1)(3)- आयुष औषधालयों में जरूरी दवाएँ राज्य अंश	1.12	1.32	केंद्रीय अंश न होने के कारण राज्य अंश को उपयोग न करना
36.	2210 एन.1(2)(1)(1)- रोहिणी में मेडिकल कॉलेज	19.99	20.00	प्रतीक्षित
37.	2210 टी.1(1)(1)(1)- सरदार बल्लभ भाई पटेल हास्पिटल	1.79	1.46	क्रय प्रस्ताव समय पर क्रियान्वित न होना
38.	2210 एक्स.1(1)(1)(1)- आचार्य भिक्षु हास्पिटल	3.72	5.56	प्रतीक्षित
39.	2210 वाई.1(1)(1)(1)- शास्त्री पार्क कालोनी हास्पिटल	0.35	3.42	प्रतीक्षित
40.	2210 ई.1(1)(1)(1)- बाबू जगजीवन राम हास्पिटल (एससीएसपी)	0.68	1.93	निविदाओं को निर्धारित नहीं किया गया, अधूरे बिल प्राप्त होना
राजस्व दत्तमत्त				
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				

41.	2235 ए.2(1)(2)(16)- विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता	6.99	13.32	प्रतीक्षित
42.	2235 ए.2(1)(2)(21)- मानसिक रोगियों हेतु गृह (आशा दीप व आशा ज्योति)	1.49	1.37	प्रतीक्षित
43.	2235 ए.2(1)(3)(3)- कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास केन्द्र	3.77	1.15	प्रतीक्षित
44.	2235 बी.2(1)(1)(1)- महिला एवं बाल विकास निदेशालय	1.85	1.01	प्रतीक्षित
45.	2225 सी.1(1)(8)- पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति(एससीएसपी)	4.99	1.49	प्रतीक्षित
46.	2225 सी.1(1)(3)(4)- अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए हॉस्टल	0.90	1.78	प्रतीक्षित
47.	2225 सी.1(1)(3)(5)- विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को किताबों और स्टेशनरी की मुफ्त सप्लाई	2.49	3.83	प्रतीक्षित
48.	2225 सी.1(3)(1)(3)- अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	0.36	6.91	प्रतीक्षित
49.	2041 डी.1(4)(3)- सड़क सुरक्षा कक्षा ओर एनजीओ को सहायता अनुदान	0.99	1.01	प्रतीक्षित
50.	3075 डी.4(1)(1)(4)- डीएनआरसी में स्वयं सेवकों को बिक्री कर/निर्माण कार्य संविदा शुल्क की प्रतिपूर्ति	73.05	13.81	प्रतीक्षित
51.	3452 ई.1(2)(2)(2)- दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा	0.50	1.18	प्रतीक्षित
<b>पूँजीगत दत्तमत्त</b>				
<b>अनुदान सं. 8: समाज कल्याण</b>				
52.	4235 एए. 1(1)(2)(2)- हाफवे होम/लॉग स्टे होम	4.99	5.63	प्रतीक्षित
53.	4235 बीबी. 1(1)(1)(2)- कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण	4.70	4.70	प्रतीक्षित
54.	4235 बीबी. 1(1)(2)(1)- वर्तमान भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्ल्यू सी डी)	1.10	2.00	प्रतीक्षित
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>				
<b>अनुदान सं. 9: उद्योग</b>				
55.	2851 ए.2(6)(6)- हैण्डलूम के कपड़े की बिक्री पर छूट (सी एस एस)	1.49	1.90	प्रतीक्षित
56.	2851 ए.2(6)(7)- दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा (सी एस एस)	2.69	3.30	प्रतीक्षित
57.	3456 डी.1(1)- निर्देशन व प्रशासन	3.99	2.16	प्रतीक्षित
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>				
<b>अनुदान सं. 10: विकास</b>				
58.	2235 ई.6(1)(1)(1)- सचिव राजस्व	9.94	1.69	सही और पूर्ण रूप से भरे हुए राहत फार्म नहीं प्राप्त हुए
59.	2015 जी.5(1)(1)(1)- चुनावों पर व्यय	5.10	3.60	प्रतीक्षित
60.	2053 एच.3(1)(1)- नई दिल्ली क्षेत्र	2.97	1.05	प्रतीक्षित
61.	2015 एच.6(1)(1)(1)- चुनावों पर खर्च	7.50	2.63	प्रतीक्षित

62.	2015 जे.6(3)(1)- दक्षिण पश्चिम जिला	3.50	3.41	प्रतीक्षित
63.	2015 जे.6(5)(1)(1)- चुनावों पर खर्च	10.00	5.13	प्रतीक्षित
64.	2015 के.6(1)(1)(1)- चुनावों पर खर्च	8.00	1.14	प्रतीक्षित
65.	2015 एन.6(1)(1)(1)- चुनावों पर खर्च	12.14	1.03	प्रतीक्षित
66.	2015 ओ.7(1)(1)(1)- चुनावों पर खर्च	8.50	4.53	प्रतीक्षित
67.	2015 ओ.7(5)(1)(1)- चुनावों पर खर्च	3.00	1.17	प्रतीक्षित
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>				
<b>अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग</b>				
68.	2070-ए.3 (2) (1)- अर्थदण्ड, जब्ती की राशि की प्रतिपूर्ति	2.99	1.85	अर्थदण्ड और जब्ती की राशि की प्रतिपूर्ति के दावे दक्षिण दि.न.नि. से प्राप्त नहीं हुए
69.	3054 ए.12(1)(1)(13)- आरओबी/आरयूबी के निर्माण हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	3.99	10.25	दक्षिण दि.न.नि. के पास पर्याप्त अव्ययित धनराशि थी।
70.	2059 बी.1 (1)(4)- रखरखाव और मरम्मत	5.00	2.78	प्रतीक्षित
71.	2216 बी.2 (1)(1)(1)- निर्माण	0.50	1.09	प्रतीक्षित
72.	2216 बी.2 (1)(1)(3)- किराया, दरें और कर	2.00	2.74	प्रतीक्षित
73.	2801 ई. 2(2)(1)(2)- ग्राहकों को डिस्काम के माध्यम से सब्सिडी	70.06	38.13	मार्च 2015 के बिल में डिस्कामों के पास संवितरित नहीं की गई सब्सिडी
74.	2801 ई. 2(2)(1)(8)- डिस्काम के जरिए एल.ई.डी. बल्बों के माध्यम से ग्राहकों को सब्सिडी	27.87	27.88	एल.ई.डी. बल्बों की दरों में कमी के साथ सक्षम प्राधिकारी न योजना सब्सिडी के बिना क्रियान्वित की
<b>पूँजीगत - दत्तमत्त</b>				
75.	4055 बीबी.1(1)(1)(1)- दिल्ली न्याय विज्ञान प्रयोगशाला	1.50	2.64	प्रतीक्षित
76.	4059 बीबी.2(1)(2)(1)- दिल्ली सरकार सचिवालय	2.70	1.72	प्रतीक्षित
77.	4059 बीबी.2(1)(2)(4)- न्यायालय भवन	1.10	2.45	प्रतीक्षित
78.	4059 बीबी.2(1)(2)(5)- उपायुक्त कार्यालय	4.00	4.71	प्रतीक्षित
79.	4070 बीबी.3(1)(2)- सेंट्रल जेल भवन	8.00	1.76	प्रतीक्षित
80.	4202 बीबी.4(1)(2)(1)- माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण	60.03	3.27	प्रतीक्षित
81.	4202 बीबी.4(1)(3)(1)- शिक्षा विभाग के वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं/ नवीनीकरण कार्य	0.75	1.37	प्रतीक्षित
82.	4202 बीबी.4(1)(5)(2)- विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण (एससीएसपी)	5.00	5.55	प्रतीक्षित
83.	4202 बीबी.4(3)(1)(3)- खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स	0.90	1.04	प्रतीक्षित
84.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(13)- डीडीयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनकपुरी	5.00	2.87	प्रतीक्षित

85.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(18)- गुरु नानक आई हांस्पिटल	1.00	1.07	प्रतीक्षित
86.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(20)- दीन दयाल उपाध्याय हांस्पिटल	1.00	2.37	प्रतीक्षित
87.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(23)- आचार्य भिक्षु हांस्पिटल	1.00	1.07	प्रतीक्षित
88.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(28)- डा.एन.सी. जोशी हांस्पिटल	2.00	2.61	प्रतीक्षित
89.	4210 बीबी.5(1)(2)(2)- लाल बहादुर शास्त्री हांस्पिटल	0.50	2.30	प्रतीक्षित
90.	4210 बीबी.5(1)(2)(4)- औषदालयों/स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन का निर्माण (एससीएसपी)	2.00	3.57	प्रतीक्षित
91.	4235 बीबी.7(1)(3)(3)- वृद्धावस्था गृह	4.35	4.35	प्रतीक्षित
92.	5054 बीबी.11(1)(1)(1)- सड़कों एवम् पुलों का निर्माण	56.90	4.14	प्रतीक्षित
93.	4801 ईई.2(1)(2)(1)- भूमि का क्रय	75.00	14.67	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया
	<b>कुल</b>	<b>796.10</b>	<b>680.65</b>	

**परिशिष्ट 2.6**  
**निधियों का ₹ एक करोड़ से अधिक तथा मूल प्रावधान के 60 प्रतिशत अभ्यर्पण के मामले**  
**(पैराग्राफ 2.3.8 देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	मूल प्रावधान का प्रतिशत	अभ्यर्पण का कारण
1	अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन	2013 बी.1(3)(3)- कार्यालय व्यय	3.50	2.50	71.43	कार्यालय मदों पर कम व्यय
2	अनुदान सं. 4 : वित्त	2054 ए.1(1)(2)(1)- प्रधान लेखा अधिकारी ई.डी.पी. सैल	20.52	15.38	74.95	योजना की धीरे प्रगति
3	अनुदान सं. 5: गृह	2070 डी.1(1)(1)(1)- वेतन	14.15	8.53	60.28	रिक्त पदों का न भरा जाना
4	अनुदान सं. 6: शिक्षा	2202 ए.1(2)(7)(24)- सूचना तथा वाणिज्य तकनीक के अधीन राज्य शेर	15.00	15.00	100.00	योजना की धीरे प्रगति
5		2203 बी.1(5)(9)(2)- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	50.00	33.00	66.00	अनुदान की कम अदायगी
6		2203 बी.1(5)(12)(1)- सहायता अनुदान-सामान्य	4.50	4.50	100.00	अनुदान की कम अदायगी
7		2202 जे.1(1)(1)(1)(1)- सहायता अनुदान-सामान्य	10.00	6.42	64.20	अनुदान की कम अदायगी
8		2202 जे.1(1)(1)(1)(2)- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	5.00	5.00	100.00	अनुदान की कम अदायगी
9		4250 बीबी.1(1)(2)-जोनपुर में वर्ल्ड क्लास स्किल केन्द्र का अपग्रेडेशन	50.00	50.00	100.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
10		6202 बीबी.2(1)(1)(1)- इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान (ई.सू.त.सं.) दिल्ली को ऋण	70.00	45.00	64.29	अनुदान की कम अदायगी
11		4202 जेजे.1 (1)(1)(4)- डी. टी.टी.डी.सी. (सी.एस.एस.) द्वारा स्मारकों की साफ- सफाई व संरक्षण	4.00	4.00	100.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
12	अनुदान सं. 7 : चिकित्सा जन स्वास्थ्य	2210 ए.1(4)(1)(1)(4)- कार्यालय व्यय	146.89	120.84	82.27	योजना का गैर-कार्यान्वयन
13		2225 सी.1(1)(3)(12)- मेट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.)	8.50	6.00	70.59	भा.स. से कम अनुदान की प्राप्ति

14	<b>अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण</b>	2225 सी.1(1)(3)(13)- मेरिट/मीनस आधारित छात्रवृत्ति (सी.एस.एस.)	4.00	3.24	81.00	भा.स. से कम अनुदान की प्राप्ति
15		3435 डी.5(1)(1)(3)- संचालन तथा नियंत्रण केन्द्र -प्राइवेट बस कलस्टर तथा पी.आई.एस.	10.00	6.00	60.00	योजना की धीरे प्रगति
16		5055 डीडी.1(2)(2)- बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूंजी	69.82	69.82	100.00	दि.प.नि. को इक्विटी पूंजी की गैर-अदायगी
17		5055 डीडी.1(3)(2)- मोनो रेल	10.00	6.32	63.20	योजना की धीरे प्रगति
18		5075 डीडी.2(1)(1)(2)- रिंग रेलवे/आर.आर.टी.एस. का उपयोग	5.00	5.00	100.00	योजना की धीरे प्रगति
19		7055 डीडी.(4)2(1)- अ.रा. ब.ट. के लिए डी.टी.आई. डी.सी. को ऋण	30.00	30.00	100.00	ऋण की गैर अदायगी
20	<b>अनुदान सं. 9 : उद्योग</b>	2230 सी.2(1)(4)(1)(1)(1)- सहायता अनुदान सामान्य	3.89	3.89	100.00	अनुदान जारी नहीं किये गए
21		3456 डी.1(2)(6)(1)- वेतन	3.90	3.90	100.00	रिक्त पदों का न भरा जाना
22		3456 डी.1(3)(5)- टीपीडी एस- स्टेट शेयर का कम्प्यूटरीकरण	6.00	4.50	75.00	योजना की धीरे प्रगति
23		3456 डी.1(4)(7)- ई.डब्ल्यू. एस. के लिए अन्नश्री योजना	21.60	21.60	100.00	योजना का गैर कार्यान्वयन न होना
24		5475 डीडी.1(1)(2)- जन वितरण प्रणाली को सरल बनाना	7.00	6.50	92.86	योजना की धीरे प्रगति
25	<b>अनुदान सं. 10 : विकास</b>	2053 ई.3(3)(1)(3)(1)- सहायता अनुदान-सामान्य	3.00	2.99	99.67	फण्डस जारी नहीं किये गए।
26		2053 जी.2(3)(1)(3)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	3.26	65.20	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
27		2053 एच.3(3)(1)(2)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	4.99	99.80	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
28		2053 आई.2(3)(1)(3)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	4.00	80.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
29		2053 के .3(3)(1)(2)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	3.50	70.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
30		2053 एल.3(3)(1)(3)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	3.00	60.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति

31		2053 एन.3(3)(1)(2)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	4.00	80.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
32		2053 पी.3(3)(1)(2)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	4.45	89.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
33		2401 आर.6(2)(2)- शहरी कलस्टर के लिए शाकाहारी पहल (वी.आई.यू.सी.)	2.00	2.00	100.00	योजना का गैर कार्यान्वयन
34	<b>अनुदान सं. 11: शहरी विकास लोक निर्माण विभाग</b>	2215 ए.6(2)(1)(5)(1)- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	344.20	296.67	86.19	अनुदान की कम अदायगी
35		2215 ए.6(2)(1)(8)- राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	62.13	62.13	100.00	भा.स. से प्रस्ताव की गैर प्राप्ति
36		2216 ए.7(1)(1)(3)(1)- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	130.00	130.00	100.00	अनुदान की कम अदायगी
<b>कुल</b>			<b>1149.60</b>	<b>997.93</b>		

**परिशिष्ट 2.7**  
**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश**  
**अभ्यर्पित नहीं हुआ की विवरणी**  
**(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	4	वित्त - प्रभारित	0.05
2	6	शिक्षा - प्रभारित	16.32
3	9	उद्योग - प्रभारित	4.50
4	11	शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग - प्रभारित	1.39
5	13	पेंशन - दत्तमत	11536.87
<b>कुल</b>			<b>11559.13</b>

**परिशिष्ट 2.8**  
**₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई**  
**(पैराग्राफ: 2.3.9 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम व संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित होनी है	
1	अनुदान संख्या 1- विधान सभा	दत्तमत	4.62	3.13	1.49
2	अनुदान संख्या 3- न्याय का प्रशासन	प्रभारित	7.12	4.99	2.13
		दत्तमत	116.62	0.02	116.60
3	अनुदान संख्या 4- वित्त	दत्तमत	82.45	6.00	76.45
4	अनुदान संख्या 5- गृह	दत्तमत	58.23	24.85	33.38
5	अनुदान संख्या 6- शिक्षा	दत्तमत	764.78	419.45	345.33
6	अनुदान संख्या 7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	दत्तमत	597.44	139.77	457.67
7	अनुदान संख्या.8-समाज कल्याण	दत्तमत	1025.56	130.85	894.71
8	अनुदान संख्या.9- उद्योग	दत्तमत	131.38	81.73	49.65
9	अनुदान संख्या.10- विकास	दत्तमत	366.31	177.85	188.46
10	अनुदान संख्या.11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	दत्तमत	1938.42	1083.42	855.00
11	राष्ट्रीय ऋण	प्रभारित	505.54	205.48	300.06
<b>कुल</b>			<b>5598.47</b>	<b>2277.54</b>	<b>3320.93</b>



**परिशिष्ट 2.9**  
**अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजना के**  
**अन्तर्गत अप्रयुक्त रहा**  
**(पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	<b>राजस्व:दत्तमत्त</b>			
	<b>अनुदान सं. 4 - वित्त</b>			
1.	3454 डी.1(1)(1)(1)- सेवा क्षेत्रों का वार्षिक सर्वेक्षण (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
2.	3454 डी.1(1)(2)(3)- भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (आई.एस.एस.पी.) (सी.एस.एस.)	7.60	0.00	7.60
3.	3454 डी.1(1)(2)(7)- सांख्यिकी सुदृढीकरण के लिए समर्थन (सी.एस.एस.)	197.00	0.00	197.00
	<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>			
4.	2202 ए.1(2)(7)(25)- विद्यालयों में आतिथ्यसत्कार तथा पर्यटन पाठ्यक्रम (सी.एस.एस.)	60.00	0.00	60.00
5.	2202 ए.1(2)(7)(26)- सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सूचना तथा प्रसारण तकनीकी (सू.प्र.त.) के अधीन केन्द्रीय शेयर	2000.00	0.00	2000.00
6.	2203 बी.1(4)(3)- पॉलिटेक्निक द्वारा समुदाय विकास (सी.एस.एस.)	100.00	0.00	100.00
7.	2203 बी.1(5)(12)- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के लिए दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (त.शि.गु.सु.क.) (सी.एस.एस.)	450.00	0.00	450.00
8.	2203 बी.1(5)(13)- राज्य परियोजना सुविधाएँ तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	35.00	0.00	35.00
9.	2230 बी.2(1)(2)(3)- सरकारी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन	61.00	0.00	61.00
10.	2230 बी.2(1)(3)(2)- मौजूदा आई.टी.आई. में व्यापक आधारित कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट संयंत्र क्रय के केन्द्रों उन्नयन (सी.एस.एस.)	100.00	0.00	100.00
11.	2230 बी.2(1)(3)(5)- शिल्प विकास प्रारंभ प्रणाली (सी.एस.एस.)	1017.00	0.00	1017.00
12.	2230 बी.2(1)(5)(3)- विश्व बैंक शेयर (एस.सी.एस.पी.) (सी.एस.एस.)	13.00	0.00	13.00
	<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>			
13.	2210 एफ.1(3)(1)(2)- मेडिकल कॉलेज में भौतिक औषधि -तथा व पुर्नवास विभाग में सुविधाओं का उन्नयन (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
14.	2210 एफ.1(3)(1)(3)- मौजूदा नर्सिंग स्कूलों/कॉलेजों का सुदृढीकरण (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
15.	2211 के.1(5)(1)- उप-केन्द्रों (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
16.	2210 एम.1(3)(1)(1)(2)- आयुष डिस्पेन्सरियों को आवश्यक औषधियाँ (सी.एस.एस.)	400.50	0.00	400.50

	अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण			
17.	2235 ए.2(1)(1)(7)- मद्यपान तथा नशारवोरी (ड्रग्स) एवम् सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की रोकथाम के लिए सहायता (सी.एस.एस.)	19.00	0.00	19.00
18.	2236 ए.3(1)(2)(1)- मूक एवं बधिर छात्रों के लिए मिड-डे - मील (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
19.	2236 बी.3(1)(1)(3)- किशोरी शक्ति योजना(सी.एस.एस.)	22.00	0.00	22.00
20.	2225 सी.1(1)(1)(6)- दिलशाद गार्डन में परीक्षा-पूर्व कोचिंग के लिए नए केन्द्र (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
21.	2225 सी.1(1)(1)(9)- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित मकानों के विद्युतीकरण हेतु सब्सिडी (अ.जा./ अ.ज.जा./एस.सी.एस.पी.) के लिए हाउसिंग सब्सिडी	10.00	0.00	10.00
22.	2225 सी.1(1)(1)(13)- राजीव गाँधी रतन आवास योजना के अंतर्गत अ.जा. स्लम निवासियों की आर्थिक सहायता हेतु डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.टी.)	100.00	0.00	100.00
23.	2225 सी.1(1)(1)(14)- एस.सी. (एस.सी.एस.पी.) हेतु शिक्षा हब	100.00	0.00	100.00
24.	2225 सी.1(1)(1)(15)- 'मातृ शिशु सुरक्षा योजना' (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत अ.जा. गर्भवती महिलाओं के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00
25.	2225 सी.1(1)(1)(16)- अ.जा. महिलाओं के लिए एन्टीनैन्टल केस इन्स्टीट्यूशनल डिलीवरी उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य आयोग को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00
26.	2225 सी.1(1)(3)(6)- कोचिंग और संबंध योजनाएँ (पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण) (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
27.	2225 सी.1(1)(3)(10)- मैट्रीक उपरान्त छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.)	300.00	0.00	300.00
28.	2225 सी.1(1)(4)(3)- अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
29.	2225 सी.1(3)(2)(2)- डा. अम्बेडकर रत्न अवार्ड संस्थान (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
30.	3452 ई.1(2)(3)(4)- छावला एवं कंगनहेरी जल-क्रीडा निवास के लिए डी.टी. एण्ड टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	140.00	0.00	140.00
31.	3452 ई.1(2)(3)(8)- दिल्ली हाट, आई.एन.ए., नई दिल्ली में नई सुविधायों के लिए डी.टी.एण्ड.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान	15.00	0.00	15.00
32.	3452 ई.1(2)(3)(9)- इंगिफेस्ट के आयोजन हेतु डी.टी. एण्ड टी.डी.एस. को सहायता अनुदान	4.00	0.00	4.00
33.	3452 ई.1(1)(1)(2)- जनक पुरी में दिल्ली हाट के विकास के लिए डी.टी.एण्ड.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1552.00	0.00	1552.00

34.	3452 ई.1(2)(3)(11)- दिल्ली में त्यौहारों के आयोजन के लिए डी.टी.एण्ड.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
35.	3452 ई.1(2)(3)(12)- अतुल्य भारतीय त्यौहार के आयोजन के लिए डी.टी.एण्ड.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	15.00	0.00	15.00
	<b>अनुदान सं. 9 - उद्योग</b>			
36.	2851 ए.2(3)(7)- लघु उद्योग के सांख्यिकी की वसूली (सी.एस.एस.)	35.00	0.00	35.00
37.	2851 ए.2(5)(6)- ई.बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण (सी.एस.एस.)	172.07	0.00	172.07
38.	2851 ए.2(6)(6)- हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट (सी.एस.एस.)	190.00	0.00	190.00
39.	2851 ए.2(6)(7)- दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए हैण्डलूम को प्रोत्साहन (सी.एस.एस.)	330.00	0.00	330.00
40.	2851 ए.2(9)(1)-हस्ताशिल्प को प्रोत्साहन(एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
41.	2230 सी.2(1)(5)(2)- बाल श्रमिक का पुर्नवास (एस.सी.एस.पी.)	50.00	0.00	50.00
42.	3456 डी.1(3)(2)- उपभोक्ता जागरूकता अभियान (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00
43.	3456 डी.1(5)(1)- ई.डब्ल्यू.एस. के लिए केरोसिन-फ्री सिटी एल.पी.जी. कनेक्शन (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
44.	3456 डी.1(5)(2)- ई.डब्ल्यू.एस. के लिए अन्नश्री योजना (एस.सी.एस.पी.)	240.00	0.00	240.00
	<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>			
45.	2401 बी.1(10)(2)- कृषि का माक्रो प्रबंधन (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00
46.	2402 बी.2(2)(1)- मृदा परीक्षण तथा मृदा सुधार तथा सेलाइन (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
47.	2403 बी.3(2)(6)(1)- पाँव तथा मुख सम्बन्धी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
48.	2403 बी.3(2)(7)(1)- सामान्य संघटक (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
49.	2403 बी.3(2)(10)- लाइव स्टॉक हेल्थ एण्ड डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम (एल.एच.एण्ड.डी.सी.) (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
50.	2245 ई.7(2)(1)(2)- भूकम्प जोखिम प्रबन्धन हेतु क्षमता भवन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
51.	2245 ई.7(2)(1)(3)- राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	100.00	0.00	100.00
52.	2506 ई.9(1)(1)- भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एस.एस.)	48.00	0.00	48.00
53.	2070 ई.15(1)(1)(2)- सिविल सुरक्षा का पुर्नगठन (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
54.	2406 एफ.2(2)(1)(4)- पशुओं की देखभाल के लिए शैल्टर - हाऊस का प्रावधान (सी.एस.एस.)	2.00	0.00	2.00
55.	2406 एफ.2(2)(1)(5)- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण का विकास (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00

56.	3435 आर.1(2)(2)(1)- समाज के कमजोर वर्गों में सुधार तथा पर्यावरण के उन्नयन की जटिलता(एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
57.	3435 आर.1(3)(2)(1)- पर्यावरण के उन्नित, संरक्षण तथा परिरक्षण में एन.जी.ओ. को सहायता (एस.सी.एस.पी.)	4.00	0.00	4.00
	<b>अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग</b>			
58.	2215 ए.6(2)(1)(8)- राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	6213.00		6213.00
59.	2216 ए.7(1)(2)(1)- कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी.को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम) (एस.सी.एस.पी.)	3000.00	0.00	3000.00
60.	2216 ए.7(1)(2)(2)- कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी.को अनुदान (डी.एस.आई.डी.सी.) (एस.सी.एस.पी.)	2000.00	0.00	2000.00
61.	2216 ए.7(1)(2)(3)- राजीव आवास योजना (डी.यू.एस.आई.बी.) (एस.सी.एस.पी.)	200.00	0.00	200.00
62.	2217 ए.8(2)(3)(3)(1)- धोबी घाटों के निर्माण एवं सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	200.00	0.00	200.00
63.	2217 ए.8(2)(3)(3)(2)- धोबी घाटों के निर्माण एवं सुधार के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	100.00	0.00	100.00
64.	2217 ए.8(2)(3)(3)(3)- धोबी घाटों के निर्माण एवं सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	150.00	0.00	150.00
65.	3475 ए.14(1)(2)- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (सी.एस.एस.)	4000.00	0.00	4000.00
	<b>राजस्व : दत्तमत्त</b>			
	<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>			
66.	2210 एबी.1(1)(1)(1)- लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
	<b>पूँजीगत - दत्तमत्त</b>			
	<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>			
67.	4202 जीजी.1(1)(1)(4)- डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा स्मारकों का संरक्षण प्रदीपन (सीएसएस)	400.00	0.00	400.00
	<b>अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण</b>			
68.	6225 सीसी.2(1)(1)(1)- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक के लिए दिल्ली स्वरोजगाक योजना हेतु डी.एस.एफ.डी.सी. को ऋण (एस.सी.एस.पी.)	1800.00	0.00	1800.00
69.	5452 ईई.1(1)(2)(1)- पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00
	<b>कुल</b>	<b>26582.17</b>	<b>0.00</b>	<b>26582.17</b>

परिशिष्ट-2.10

वर्ष 2014-15 के अन्त में व्यय का द्रुतप्रवाह  
(पैराग्राफ 2.3.11 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम व सं.	लेखा शीर्ष	क्ल प्रावधान	क्ल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय (2014-15)		मार्च 2015 में किए गए व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	06- शिक्षा	4202 ए.ए.1(1)(1)(1)- वी.के.एस. योजना द्वारा स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण	29.40	28.63	20.78	72.58	16.81	58.71
2.	07 -चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210 ए.1(1)(4)(10)(2)- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान - योजना	15.00	15.00	11.25	75.00	11.25	75.00
3.		2210 ए.1(3)(3)(6) (1)-स.अ.- सामान्य- योजना	24.50	24.50	17.00	69.39	17.00	69.39
4.		2210 ए.1(3)(3)(6) (2)-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान - योजना	40.00	40.00	28.00	70.00	28.00	70.00
5.	08- समाज कल्याण	5035 डीडी.1(4)- नये बस टर्मिनल हेतु भूमि का क्रम	60.80	60.80	59.09	97.19	58.45	96.13
6.		2225 सी.1(1)(3)(9)- पब्लिक स्कूल प्लान में टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति	25.00	24.35	14.48	59.47	14.25	58.52
7.		7055 डीडी.4(1)(2)- एम.आर.डी.एस. प्लान के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सहायक ऋण	40.51	40.51	40.51	100.00	40.51	100.00
8.	09: उद्योग	3456 डी.1(3)(1)- गरीबी रेखा से नीचे को ध्यान में रखते हुए जन-वितरण की सशक्तता	30.36	29.94	20.84	69.61	19.57	65.36
9.	11 -शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	2215 ए.6(1)(1)(1)(2)- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान- योजना	110.00	110.00	80.00	72.73	60.00	54.55
10.		2215 ए.6(2)(1)(6)(1)- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान- योजना	125.00	125.00	85.63	68.50	85.63	68.50
11.		2217 ए.8(2)(1)(3)(3) (1)- स.अ. - सामान्य- योजना	70.00	70.00	37.50	53.57	37.50	53.57

12.	2217 ए.8(2)(1)(24)(3) (1)- स.अ.- सामान्य - योजना	20.00	20.00	15.50	77.50	15.50	77.50
13.	2217 ए.8(2)(1)(25)(2) (1)- स.अ.- सामान्य - योजना	18.04	18.04	11.04	61.20	11.04	61.20
14.	2217 ए.8(2)(3)(9)(1)- पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ के सृजन के लिए अनुदान - योजना	24.00	24.00	18.38	76.58	18.38	76.58
15.	3054 ए.12(1)(1)(3)(1)- पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ के सृजन के लिए अनुदान - योजना	99.00	99.00	65.25	65.91	65.25	65.91
16.	6215 ए.2(2)(1)(13)- जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण-योजना	354.47	354.47	340.37	96.02	340.37	96.02
17.	2801 ई.2(2)(1)(5)(1)- स.अ.-सामान्य-गैर योजना	350.00	350.00	196.00	56.00	196.00	56.00
18.	4801 ई.ई.2(1)(2)(1)- भूमि का क्रय-योजना	100.00	85.33	63.45	74.36	63.45	74.36
19.	2217 ए.8(2)(1)(24)(1) (1)- स.अ.-सामान्य- योजना	35.00	35.00	35.00	100.00	35.00	100.00
20.	6801 ई.ई.1(5)(2)- दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड योजना को ऋण	195.00	195.00	195.00	100.00	195.00	100.00
	<b>कुल</b>	<b>1766.08</b>	<b>1749.57</b>	<b>1355.07</b>		<b>1328.96</b>	

**परिशिष्ट - 2.11**  
**पूँजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की सारणी**  
**(पैराग्राफ 2.5 (ख) को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की सं. तथा नाम	अनुदानों के लिए दी गई मांग में वास्तविक अनुदान /विनियोग (डी.डी.जी.)	व्यय
	<b>अनुदान सं. 4- वित्त</b>		
1.	2039 ई.1(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2039 00 001 99 00 51)	0.06	0.05
2.	2039 ई.1(3)(1)(8)- मोटर वाहन (2039 00 104 99 00 51)	0.06	0.02
3.	2040 एफ.1(3)(4)(5)- मोटर वाहन (2040 00 800 81 00 51)	2.85	1.48
	<b>अनुदान सं. 5 -गृह</b>		
4.	2056 ए.1(1)(1)(8)- मोटर वाहन (2056 00 001 99 00 51)	1.10	0.10
5.	2070 सी.1(1)(2)(9)- मोटर वाहन (2070 00 108 99 00 51)	4.00	3.95
6.	2055 डी.1(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2055 00 116 99 00 51)	0.15	0.02
	<b>अनुदान सं. 6 -शिक्षा</b>		
7.	2203 बी.1(5)(5)(12)- मोटर वाहन (2203 00 112 66 00 51)	0.005	0.002
8.	2205 जी.1(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2205 00 103 99 00 51)	0.10	-
	<b>अनुदान सं. 7- चिकित्सा जन स्वास्थ्य</b>		
9.	2210 बी.1(1)(1)(1)(10)- मोटर वाहन (2210 01 110 86 00 51)	0.48	0.05
10.	2210 सी.1(1)(1)(1)(9)- मोटर वाहन (2210 01 110 87 00 51)	0.075	0.08
11.	2210 एफ.1(1)(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2210 01 110 53 00 51)	0.12	0.06
12.	2210 एच.1(1)(1)(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2210 05 105 99 99 51)	0.085	0.05
13.	2210 टी.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 01 110 30 00 51)	0.0075	0.006
14.	2210 डब्ल्यू.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 01 110 77 00 51)	0.01	0.001
15.	2210 एबी.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 01 789 97 00 51)	0.07	0.05
16.	2210 एसी.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 01 110 40 00 51)	0.02	0.01
17.	2210 ई.1(1)(1)(1)(9)- मोटर वाहन (2210 01 789 95 00 51)	0.08	0.02
18.	2210 एएफ.1(1)(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2210 01 110 79 00 51)	0.05	0.009
19.	2210 एआई.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 02 102 60 99 51)	0.01	0.005
	<b>अनुदान सं. 9-उद्योग</b>		
20.	2230 सी.1(1)(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2230 01 001 99 00 51)	0.20	शून्य
	<b>अनुदान सं. 10-विकास</b>		
21.	2403 बी.3(1)(1)(8)- मोटर वाहन (2403 00 001 99 00 51)	0.02	0.01
22.	2070 ई.15(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2070 00 800 64 99 51)	0.25	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>9.8025</b>	<b>5.973</b>
	<b>अनुदान सं. 5 -गृह</b>		
23.	2070 बी.1(1)(1)(6)- मशीनरी, उपकरण, यंत्र एवं संयंत्र (2070 00 106 95 00 52)	0.12	0.06
24.	2070 सी.1(1)(2)(7)- मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 108 99 00 52)	10.00	2.57
25.	2055 डी.1(1)(1)(6)- मशीनरी तथा उपकरण (2055 00 116 99 00 52)	14.25	2.19
	<b>अनुदान सं. 6 -शिक्षा</b>		
26.	2203 बी.1(4)(1)(6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 105 86 00 52)	2.00	1.15
27.	2203 बी.1(5)(1)(6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 72 00 52)	0.29	0.37
28.	2203 बी.1(5)(5)(8)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 66 00 52)	2.00	0.10

29.	2230 बी.2(1)(2)(1)(9)-मशीनरी तथा उपकरण (2230 03 003 99 00 52)	3.45	2.12
30.	2203 सी.1(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 63 00 52)	1.28	0.64
31.	2205 जी.1(1)(1)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2205 00 103 99 00 52)	0.05	0.0009
32.	2203 आई.1(1)(1)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 65 99 52)	1.50	0.84
33.	2203 के.1(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 64 00 52)	0.50	0.16
<b>अनुदान सं. 7- चिकित्सा जन स्वास्थ्य</b>			
34.	2210 बी.1(1)(1)(1)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 86 00 52)	15.50	27.87
35.	2210 सी.1(1)(1)(1)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 87 00 52)	9.50	8.26
36.	2210 डी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 89 00 52)	0.80	शून्य
37.	2210 ई.1(1)(1)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 91 00 52)	19.70	2.27
38.	2210 एफ.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 53 00 52)	24.10	4.85
39.	2210 जी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 97 00 52)	5.50	4.72
40.	2210 एच.1(1)(1)(1)(1)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 99 52)	4.00	1.70
41.	2210 एल.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 62 00 52)	5.00	2.65
42.	2210 एम.1(1)(1)(1)(10)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 101 69 00 52)	0.005	0.001
43.	2210 एम.1(1)(2)(2)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 63 00 52)	0.15	0.10
44.	2210 एन.1(1)(1)(1)(4)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 67 00 52)	5.00	0.79
45.	2210 पी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 17 00 52)	0.75	0.10
46.	2210 क्यू.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 27 00 52)	1.00	0.28
47.	2210 एस.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 16 00 52)	0.30	0.02
48.	2210 टी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 30 00 52)	1.00	0.42
49.	2210 यू.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 26 00 52)	0.48	शून्य
50.	2210 वी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 29 00 52)	0.37	0.30
51.	2210 डब्ल्यू.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 77 00 52)	1.50	0.36
52.	2210 एक्स.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 78 00 52)	1.80	0.33
53.	2210 वाई.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 23 00 52)	0.71	0.85
54.	2210 जेड.1(1)(1)(1)(8)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 85 00 52)	1.20	0.61
55.	2210 एबी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 97 00 52)	2.10	2.49
56.	2210 एसी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 40 00 52)	4.90	0.72
57.	2210 एडी.1(1)(1)(1)(4)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 96 00 52)	1.20	1.39
58.	2210 एई.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 95 00 52)	1.10	0.99
59.	2210 एएफ.1(1)(1)(1)(8)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 79 00 52)	3.50	2.46
60.	2210 एजी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 65 00 52)	2.40	0.14
61.	2210 एएच.1(1)(1)(1)(9)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 101 71 00 52)	2.00	शून्य
62.	2210 एआई.1(1)(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 60 99 52)	0.05	0.02
63.	2210 एजे.1(1)(1)(1)(1)(8)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 60 98 52)	0.10	शून्य
<b>अनुदान सं. 10- विकास</b>			
64.	2405 बी.5(2)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2405 00 101 88 00 52)	0.001	0.0007
65.	2711 डी.3(1)(2)(1)- औजार तथा संयंत्र (2711 01 052 99 00 52)	0.03	0.03
66.	2711 डी.3(2)(1)(1)- औजार तथा संयंत्र (2711 03 052 99 00 52)	0.02	0.02
67.	2070 ई.15(1)(1)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 800 64 99 52)	1.50	शून्य
<b>कुल</b>		<b>152.706</b>	<b>74.9426</b>
<b>अनुदान सं. 11 – शहरी विकास लोक निर्माण</b>			
68.	2059 बी.1(1)(2)- निर्माण (2059 80 051 00 00 53)	7.50	3.82
69.	2216 बी.2(1)(1)(1)- निर्माण (2211 01 106 98 00 53)	2.50	1.90
<b>कुल</b>		<b>10.00</b>	<b>5.72</b>
<b>सकल कुल</b>		<b>172.509</b>	<b>86.636</b>



**परिशिष्ट 2.12**  
**बचतें जो लौटाई नहीं गई**  
**(पैराग्राफ 2.6 (ii) को देख)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	खण्ड	बचत की धनराशि	लौटाई गई बचतों की धनराशि	धनराशि जो लौटाई नहीं गई
1	2012-13	राजस्व दत्तमत	16.07	3.26	12.81
2	2013-14	राजस्व दत्तमत	18.68	3.40	15.28
3	2014-15	राजस्व दत्तमत	43.84	9.98	33.86
4	2012-13	राजस्व भारित	2.35	शून्य	2.35
5	2013-14	राजस्व भारित	3.82	शून्य	3.82
6	2014-15	राजस्व भारित	2.01	0.77	1.24
<b>कुल</b>			<b>86.77</b>	<b>17.41</b>	<b>69.36</b>

**परिशिष्ट 2.13**

**अनावश्यक पूरक प्रावधान 2012-13 से 2014-15 तक**  
**(पैराग्राफ 2.6 (iii) को देखे)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों में से बचत	पूरक प्रावधान
1	2012-13	2012-ए1(1)(1) सचिवालय (भारित)	552.70	493.95	58.75	17.50
2	2012-13	2012-ए1(1)(2) सं.क्षे. के प्रशासक के पारिश्रमिक एवं भत्ते	15.00	12.14	2.86	1.40
3	2013-14	2012-ए1(1)(6) राज्य परिवहन एवं मोटर कार	57.40	54.92	2.48	1.80
4	2013-14	2220-एफ1(2)(1)(1)(1) पत्रकार के लिए सहायता	शून्य	शून्य	1.00	1.00
5	2013-14	2012-ए1(1)(2) सं.शा.प्र. के प्रशासकों का पारिश्रमिक व भत्ते	17.00	14.18	2.82	1.80
6	2014-15	2055-सी8(1)(1)(1) सहायता अनुदान - सामान्य	शून्य	शून्य	1443.00	1443.00
7	2014-15	2051-जी1(1)(1) दिल्ली सरकार का स्टाफ चयन बोर्ड (भारित)	शून्य	शून्य	5.50	5.50
<b>कुल</b>			<b>642.10</b>	<b>575.19</b>	<b>1516.41</b>	<b>1472.00</b>

**परिशिष्ट 3.1**  
**निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी**  
**(पैराग्राफ 3.2 को देखें)**

क्र.सं.	निकायों/प्राधिकरणों के नाम	लेखों की लेखापरीक्षा का नि.म.ले.प. को सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखें जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (पू.ले.प.प्र.) जारी की गई	विधायिका में प्रस्तुत की गई पू.ले.प.प्र.	लेखें प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	2004-05 से 2013-14	2013-14	2012-13	विधायिका में पेश नहीं की गई	-	-
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (गु.गो.सि.इं.प्र.वि.)	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2013-14	2012-13	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.)	2012-13 से 2016-17	2012-13	2011-12	1999-2003	2013-14	1
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2008-09	2007-08	2003-04	2009-10 से 2013-14	5
5.	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2013-14	2011-12	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
6.	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक विकलांग वित्तीय विकास निगम लि.	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2004-05	2003-04	-	2004-05 से 2013-14	10
7.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.वि.से.प्रा.)	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2013-14	2013-14	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
8.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (दि.वि.नि.प्रा.)	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2013.14	2013.14	2013-14	-	-
9.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2013-14	2010-11	स्थिति प्रतीक्षित	-	-